Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SUNDAY, SEPTEMBER 8, 2013
(BHADRA 17, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 8th September, 2013

No. 24—HLA of 2013/67.—The Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 24—HLA of 2013

THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (SECOND AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:- -

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2013. Short title

2. After clause (f) of sub-section (1) of section 161 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), the following clause shall be inserted, namely:– Amendment of section 161 of Haryana Act 16 of 1994.

"(fa) all the properties, funds and dues alongwith all the legal liabilities of the trust dissolved under sub-section (1) of section 105, vested in the State Government under clause (b) of sub-section (2) and

Price : Rs. 5.00

transferred to the municipality under the proviso to clause (d) of sub-section (2) of section 105 of the Haryana Town Improvement Act, 2008 (36 of 2008);".

Insertion of section 263A in Haryana Act 16 of 1994.

3. After section 263 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**263A. Power to seal premises.**—(1) The Commissioner may, at any time, before or after making an order under section 261 or 262 may order to seal the premises.

(2) Where any premises has been sealed, the Commissioner, may order such seal to be removed for the purpose of—

(a) allowing an opportunity to the owner to bring it in conformity with the sanctioned building plan as per the provisions of this Act, rules or bye-laws framed thereunder within a period, which shall not exceed three months; or

(b) allowing the functionaries of the Corporation to bring it in conformity with the sanctioned building plan as per the provisions of this Act, rules or bye-laws framed thereunder at the cost of the owner; or

(c) demolition, at the cost of the owner.

(3) No person shall remove such seal except—

(a) under an order made by the Commissioner under sub-section (2); or

(b) under an order of the appellate authority.

(4) Where any order of sealing has been passed under sub-section (1), the owner may file an appeal before the Divisional Commissioner concerned within a period of seven days of passing of such order. The Divisional Commissioner may either reject the appeal or stay the order to allow the owner to bring the premises in accordance with the sanctioned building plan as per the provisions of this Act, rules or the bye-laws framed thereunder, with such conditions including furnishing of a bank guarantee of an amount, as deemed fit. On failure of the owner to adhere to the conditions of the order, bank guarantee shall be revoked and the premises shall be liable for demolition, at the cost of the owner. Such cost shall be paid by the owner within a period of one month from the date of demolition of the said premises.

(5) In the event of non-payment of the cost by the owner as per sub-section (3), the same shall be recoverable as arrears of land revenue.".

4. In section 392 of the principal Act,— Amendment of section 392 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) the existing section shall be re-numbered as sub-section (1);

(ii) under heading "I. Bye-laws relating to miscellaneous matters", after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:—

"(5A) regulate the laying of communication cables (underground as well as over ground), erection of communication towers and dish antennas established and maintained by private agencies as well as semi-Government agencies;".

(iii) after sub-section (1) so re-numbered, the following sub-section shall be added at the end, namely:–

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Government may, subject to previous publication, frame bye-laws applicable to all the Corporations to implement a policy decision of the Government or to have uniformity of bye-laws on any subject, on which a Corporation can frame bye-laws.".

5. In sub-section (1) of section 393 of the principal Act,— Amendment of section 393 of Haryana Act 16 of 1994.

(i) in clause (c), for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after clause (c), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that a breach or an abetment of a breach under clause (5A) under heading "I.Bye-laws relating to miscellaneous matters" of section 392, shall be punishable with a fine which shall not be less than one lac rupees and more than two lac rupees, and in the case of a continuing breach, with a further fine of two thousand rupees for every day during which the breach continues.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Municipal Corporations in the State of Haryana are governed by the Haryana Municipal Corporation Act, 1994. Section 261 of the Act deals with unauthorized constructions and illegal conversions made without prior permission of the competent authority or otherwise. The procedure for taking action against unauthorized constructions / illegal conversions provided in this Act, including order for demolition, is time consuming. For taking expeditious action against violations, the provision for sealing of buildings with unauthorized constructions / illegal conversions, is proposed to be incorporated in the Act.

It is also proposed to empower the State Government to make bye-laws for various Municipal Corporations. Further, provision is being made to make bye-laws for regulation of laying of communication cables and erection of communication towers and dish antennas, at par with the Haryana Municipal Act, 1973.

Further, it is proposed to introduce a penalty clause in Section 393 of the Act, at par with the Haryana Municipal Act, 1973, for breach or abetment of breach of bye-laws relating to regulation of laying of communication cables and erection of communication towers and dish antennas, for effective deterrence.

It is also proposed to introduce a clause in Section 61 of the Act to the empower the Government to vest all properties, funds and liabilities of dissolved Improvement Trusts with the concerned municipalities, for better management and control.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 8th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[*प्राधिकृत अनुवाद*]

2013 का विधेयक संख्या 24 –एच० एल० ए०

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013

**हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम ।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 161 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:- 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 161 का संशोधन ।

"(चक)हरियाणा नगर सुधार अधिनियम, 2008 (2008 का 36) की धारा 105 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार में निहित तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) के परन्तुक के अधीन नगरपालिका को अन्तरित, धारा 105 की उपधारा (1) के अधीन विघटित न्यास के सभी विधिक दायित्वों सहित सभी सम्पत्तियां, निधियां तथा देय;"।

3. मूल अधिनियम की धारा 263 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:- 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 263 क का रखा जाना ।

"**263 क. परिसरों को सीलबंद करने की शक्ति.**- (1) आयुक्त किसी भी समय धारा 261 या 262 के अधीन आदेश करने से पूर्व या बाद में किन्हीं परिसरों को सीलबंद करने के आदेश कर सकता है।

(2) जहां किन्हीं परिसरों को सीलबंद कर दिया गया है, आयुक्त, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए ऐसी सीलबंद को हटाए जाने के आदेश कर सकता है.-

(क) अवधि जो तीन मास से अधिक न हो, के भीतर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार स्वीकृत निर्माण योजना की अनुरूपता में इसे लाने हेतु इसके स्वामी को अवसर अनुज्ञात करने; या

(ख) स्वामी की लागत पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार स्वीकृत निर्माण योजना की अनुरूपता में इसे लाने हेतु आयुक्त को अनुज्ञात करने; या

(ग) स्वामी की लागत पर विध्वंस करने ।

(3) कोई भी व्यक्ति-

(क) उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा किये गये आदेश के अधीन; या

(ख) अपील प्राधिकारी के आदेश के अधीन,

के सिवाए ऐसी सीलबंद को नहीं हटायेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन परिसर को सीलबंद करने का कोई आदेश पारित किया गया है, स्वामी ऐसे आदेश के पारित होने के सात दिनों की अवधि के भीतर सम्बद्ध मण्डल आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। मण्डल आयुक्त या तो अपील अस्वीकार कर सकता है या राशि की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करते हुए ऐसी शर्तों सहित, जो वह ठीक समझे, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार स्वामी को स्वीकृत निर्माण योजना के अनुसार परिसरों को लाने हेतु अनुज्ञात करने के लिए रोक आदेश कर सकता है। आदेश की शर्तों की अनुपालना करने में स्वामी के असफल रहने पर बैंक गारण्टी रद्द कर दी जाएगी तथा परिसर स्वामी की लागत पर विध्वंस के लिए दायी होंगे। ऐसी लागत, उक्त परिसरों के विध्वंस की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर स्वामी द्वारा भुगतान की जाएगी।

(5) उप-धारा (3) के अनुसार स्वामी द्वारा लागत के अंसदाय की दशा में, यह राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य होगी।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 392 का रखा जाना ।

4. मूल अधिनियम की धारा 392 में,

(i) विद्यमान धारा, उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएगी;

(ii) "झ. प्रकीर्ण विषयों से संबंधित उप-विधियां", शीर्ष के अधीन, खण्ड (5) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5क) अर्ध-सरकारी अभिकरणों के साथ-साथ प्राईवेट अभिकरणों द्वारा स्थापित तथा व्यवस्थित संचारण केबिलज को बिछाने (भूमिगत के साथ-साथ भूमि पर) संचारण टावरों तथा डिश ऐन्टेना के निर्माण को विनियमित करना;"।

(iii) इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा अन्त में, जोड़ दी जाएगी, अर्थात् :-

"(2) उप-धारा (1) में किसी बात को होते हुए भी, सरकार, पूर्व प्रकाशन के अधीन, रहते हुए सरकार के पॉलिसी निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए या किसी विषय जिस पर निगम उप-विधियां बना सकता है उप-विधियों की अनुरूपता लाने के लिए सभी निगमों को लागू करने के लिए उप-विधियां बना सकता है ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 393 की धारा (1) में, — 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 393 का संशोधन।

(i) खण्ड (ग) में, अन्त में आने वाले विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु धारा 392 के "झ. प्रकीर्ण के विषयों से संबंधित उपविधियां" शीर्ष के अधीन खण्ड (5क) के अधीन भंग या भंग की दुष्प्रेरणा जुर्माने से जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा तथा दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा, तथा लगातार भंग की दशा में, प्रत्येक दिन जिसके दौरान भंग जारी रहता है, के लिए दो हजार रुपये के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा ।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा राज्य में नगरनिगम हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 द्वारा संचालित होते हैं। अधिनियम की धारा 261 अनाधिकृत निर्माण तथा गैर कानूनी परिवर्तन जो कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से किए जाते हैं, से सम्बन्धित है। इस अधिनियम में अनाधिकृत निर्माण/गैर कानूनी परिवर्तन के विरुद्ध कार्यवाही करने से संबंधित प्रावधान किए गये हैं, जिसमें ध्वंस का आदेश समय लेने वाला है। उल्लंघना के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के लिए अनाधिकृत निर्माण/गैर कानूनी परिवर्तन को सील करने का प्रावधान अधिनियम में किया जाना प्रस्तावित है।

विभिन्न नगर निगमों के लिए उप विधियां बनाने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान की जानी प्रस्तावित हैं। आगे, संचार तारे बिछाने तथा संचार टावर लगाने व डिश एन्टीना लगाने व उन्हे नियन्त्रित करने से सम्बन्धित उपविधियां बनाने का हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की तर्ज पर प्रावधान किया जा रहा है।

आगे, संचार तारें बिछाने तथा संचार टावर लगाने व डिश एन्टीना लगाने से सम्बन्धित नियमों की उल्लंघना को रोकने से सम्बन्धित हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की तर्ज पर धारा 393 में जुर्माना लगाने से सम्बन्धित प्रावधान करना प्रस्तावित है।

अधिनियम की धारा 161 में एक अनुच्छेद लाने का भी प्रस्ताव है जिसके द्वारा नगर निगमों के कार्य क्षेत्र में आने वाले सुधार मण्डलों की सभी सम्पत्तियां, वित्तीय संसाधन तथा जिम्मेवारियां सम्बन्धित नगर निगम में निहित होंगी जोकि उनके बेहतर प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिये होंगी।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 8 सितम्बर, 2013.

सुमित कुमार,
सचिव।